

#1175

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, अपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)



पीठसीन अधिसूचना संख्या: 2025 कैम्प स्थल - सहायक

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 341/25

दाखल दिनांक 27/9/25

निर्णय दिनांक 27/9/25



क्र.सं.	नाम - ग्राम	ज्ञान	रिपोर्ट	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश	
1				महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>अकल</u> प.ह. <u>अकल</u> खातासं. <u>296</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरा मद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
				हस्ताक्षर महोदय	हस्ताक्षर महोदय	पदेन सहायक कलेक्टर कपासन	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-
पटवारी अकल
1. पटवारी पटवारी अकल जिला चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि आदेश नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरा मद कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन